लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12.12.17

क्र./शि.क./सी/67/अध्या.संवि./प्रावि–मावि/2017/ 1773

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स म.प्र.।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
3. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र.।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर परिषद् म.प्र.।

विषय :– प्रावि/मावि/हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्ड्री में कार्यरत सहायक अध्यापक/अध्यापकों के अन्तर्निकाय अथवा अन्तर्निकाय पारस्परिक संविलियन के ऑनलाईन आवेदनों का सत्यापन हेतु मुख्य बिन्दुओं के संबंध में।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक–6, दिनांक 22.11.2017 एवं संचालनालय के परिपत्र दिनांक 08.12.17

:: 00 ::

अध्यापक संवर्ग के प्रथम चरण में हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्ड्री विद्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों के अन्तर्निकाय संविलियन के ऑनलाईन आवेदनों के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सत्यापन के दौरान एक ही निकाय के आवेदन, महिला को पुरुष वर्ग तथा पुरुष को महिला वर्ग, आवेदक की वरिष्ठता, पुरुष वर्ग में 05 एवं 03 वर्ष की सेवा गणना, विकलांग कोटे में नियुक्ति, सहायक अध्यापक (पीटीआई/लेब/गायन वादन) इत्यादि को लापरवाही तरीके से सत्यापन किये जाने से प्रावधिक सूची के विरुद्ध अनेक आवेदन प्राप्त हो रहे है, जिनका परीक्षण एवं निराकरण की कार्रवाई प्रचलन में है।

2/ संदर्भित परिपत्रों के अनुक्रम में उल्लेखित स्थिति निर्मित न हो इसलिये निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर ध्यानपूर्वक सत्यापन की कार्रवाई स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाये :–

1. एक ही निकाय में संविलियन का आवेदन मान्य नही होगा।
2. जिला पंचायत से नगरीय निकाय में संविलियन का आवेदन मान्य नही होगा।
3. नगरीय निकाय से जिला पंचायत में संविलियन का आवेदन मान्य होगा।
4. जिला पंचायत से अन्य जिला पंचायत में संविलियन आवेदन मान्य होगा।
5. नगरीय निकाय से अन्य नगरीय निकाय में संविलियन आवेदन मान्य होगा।
6. प्राथमिक में 02 एवं माध्यमिक में 03 शिक्षक कार्यरत होने पर संविलियन की पात्रता नही होगी।

7. प्राथमिक में 03 एवं माध्यमिक में 04 शिक्षक कार्यरत होने पर संविलियन की पात्रता होगी। ऐसे विद्यालयों में 01 से अधिक व्यक्ति संविलियन हेतु आवेदन करते है तो निर्धारित प्राथमिकता क्रम के आधार पर पात्र व्यक्ति का सत्यापन किया जा सकेगा।

8. महिला एवं निशःक्तजन को 05 वर्ष की सेवाकाल का बन्धन नही रहेगा।

9. पुरुष वर्ग की 05 वर्ष का सेवाकाल की गणना उसकी सेवा में प्रथम नियुक्ति शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति दिनांक से मान्य होगी। पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों की सेवा गणना भी सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही मान्य होगी।

10. पुरुष वर्ग को सामान्य क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र में अन्तर्निकाय संविलियन हेतु 03 वर्ष की सेवा गणना मान्य होगी।

11. महिला एवं पुरुष वर्ग में होने का सत्यापन सावधानीपूर्वक होना चाहिए। संविलियन हेतु प्राथमिकता क्रम महिला एवं पुरुष वर्ग के आधार पर निर्धारित है।

12. आवेदक का विकलांग कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति का सत्यापन ध्यान पूर्वक होना चाहिए।

13. अध्यापक के पद पर जिस विषय में नियुक्ति/पदोन्नति हुई है उसी विषय के पद पर अन्तर्निकाय संविलियन की पात्रता होगी।

14. अध्यापकों के सीधी भरती के रिक्त पदों पर ही संविलियन की पात्रता होगी।

15. आवेदक का परीक्षा परिणाम अन्तर्निकाय संविलियन हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के लिए है। आवेदक द्वारा परीक्षा परिणाम अंकित नही करने पर आवेदन निरस्त नही किया जा सकता है।

16. गम्भीर बीमारी, महिला वर्ग हेतु पति का कार्य स्थान अथवा निवास स्थान, तलाकशुदा अथवा परित्यागता, सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं जन्मतिथि का सत्यापन ध्यान पूर्वक होना चाहिए।

17. माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों के विकल्प चुन सकते है। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक माध्यमिक विद्यालय के रिक्त पदों का विकल्प नही चुन सकेगें।

18. पारस्परिक आवेदकों के लिए सेवाकाल अथवा कार्यरत शिक्षकों की संख्या का कोई बन्धन नही है। केवल समान पद एवं समान विषय होना चाहिए। इसी आधार पर पारस्परिक आवेदनों का सत्यापन किया जायेगा।

19. माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक जिन्होंने हाईस्कूल/हायर सैकेण्ड्री स्कूलों के लिए पूर्व में ऑनलाईन आवेदन अन्तर्निकाय/पारस्परिक हेतु किये गये थे और उन्हें जारी प्रावधिक सूची में उनके आवेदन अनुसार शाला का आवंटन हो चुका है। ऐसे आवेदक प्रावि/मावि में अन्तर्निकाय संविलियन के लिए पात्र नही होगें। यदि उनके आवेदन निरस्त अथवा कोई शाला का आवंटन नही हुआ है तो ऐसे आवेदक प्रावि/मावि में अन्तर्निकाय संविलियन हेतु समान पद एवं समान विषय के आवेदन मान्य किये जा सकेगें।

20. ऐसे प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय जिनमें अतिशेष शिक्षक (अध्यापक संवर्ग) है या जिन अतिशेष शिक्षकों (अध्यापक संवर्ग) को शालाओं से हटाये गये उन शिक्षकों (अध्यापक संवर्ग) के ऑनलाईन आवेदन मान्य नही होगें।

21. प्रावि/मावि में अन्तर्निकाय संविलियन हेतु किसी भी वरिष्ठ अध्यापक के आवेदन मान्य नही होगें।

22. ऑनलाईन आवेदनों के सत्यापन के दौरान उल्लेखित बिन्दुओं पर या अन्य कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो सीधे श्री एस.एस. रिज़वी, संयुक्त संचालक (94254–85196) एवं श्री एस.बी. धोटे उप संचालक (99265–98299) लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. से दूरभाष पर चर्चा कर समाधान कर सकते है।

अध्यापक संवर्ग के संविलियन हेतु उल्लेखित बिन्दु शासन के आदेश दिनांक 07.07.17 के अनुसार है। उक्त बिन्दुओं के आधार पर ही ऑनलाईन साफ्टवेयर तैयार किया गया है। आपके द्वारा सत्यापन में लापरवाही की जाती है तो अध्यापक संवर्ग के द्वारा अन्तर्निकाय संविलियन हेतु चुने गये विकल्प त्रुटिपूर्ण आवंटित होने की संभावना रहेगी। इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगें। कृपया निर्देशानुसार सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

(नीरज दुबे)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./शि.क./सी/67/अध्या.संवि./प्रावि–मावि/2017/1734 भोपाल, दिनांक 12.12.17

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं जन सम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
7. श्री राजन आर. राणे, राज्य सूचना अधिकारी (SIO), राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र विन्ध्याचल–भवन, भोपाल म.प्र. की ओर निर्देशानुसार उक्तानुसार कार्रवाई सम्पन्न कराये जाने हेतु।
8. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशन (NIC) विंध्यांचल–भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. श्री सुमनकांत जैन, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. की ओर उक्तानुसार कार्रवाई के लिए एन.आई.सी.से सतत् सम्पर्क एवं समन्वय रखकर ऑनलाईन प्रक्रिया को समय सीमा में पूर्ण कराये।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश